अनुसुचित जातियों अनुसुचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु औद्योगिक सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की योजना

3161. **श्री अजीत जोगी**: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति के लोगों का आर्थिक उत्थान करने के लिए औद्योगिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना तैयार की है।

(ख) यदि हां, तो योजनवार ब्यौरा क्या है औऱ चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कितना वित्तीय आवंटन किया गया है।

(ग) अब तक स्वीकृत की गई और स्वीकृति हेतु विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है। और

(घ) इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

क्रयाण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामुवालिया):

(क) से (घ) सरकार ने गरीबी की रेखा के दो गुना नीते आय वाले अनुसुचित जातियों एवं अनुसुचित जनजातियों को आय सृजक योजनाओं के लिए अच्छी कि रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य के कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत 8 फरवरी, 1989 को राष्ट्रीय अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (लाभ के लिए नहीं) की स्थापना की है। यह गरीबी की रेखा के दो गुना नीते वाले अनुसुचित जाति/जनजाति के व्यक्ति साझेदारी वाली फर्मो संयुक्त व्यक्तियों औऱ सहकारी संस्थाओं को ऋण प्रदान करता है जिनमें सभी सदस्य अनुसुचित जाती/ अनुसूचित जनजाति समुदाय के होते है तथा वे गरीबी की रेखा के दौ गुना नीचे के व्यक्ति होते हैं। सहकारी संस्थाओं औद्योगित सहकारी भी शामिल होते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाती वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को कुल 49 लाख रु की परियोजना लागत वाली स्टोन क्रशिंग स्कीम की 10 युनिटें मंजूर की गई है जिनके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने 10 लाख रु. संवितरित किए हैं। जहां तक वर्तमान वर्ष का संबंध है औद्योगिक सहकारी सोसाइटी की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य से औद्योगिक सहकारी सोसाइटी के लिए कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं है।

एकबात्ती कनैक्शन के लिए अनुसूचित जाति के परिवारों की पहचान करना

3162. **श्री गोविन्दराम मिरी**: क्या क्लयाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा राज्य-वार पहचान किये गये अनुसूचित जाति के परिवारों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने परिवारों को एकबत्ती कनैक्शन प्रदान किया जा चुके हैं?

क्रायण मंत्री (श्री बलवंत सिहं रामुवालिया): अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित गरीबी की रेखा से नीचे वाले ग्रामीण परीवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, भारत सरकार ने ऐसे गरीब परिवारों के परिवार में एक बत्ती के बिजली के कनेक्शनों के विस्तान के लिए वर्ष 1988-89 में एक कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार लाभग्राहियों के राज्यवार ब्यौरें विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(31.12.1996 की स्थिति के अनुसार संचयी स्थिति)

क्र.सं.	राज्य	प्रदान किया गया एक बत्ती कनैक्शन
1.	आन्ध्र प्रदेश	232205
2.	अरुणाचल प्रदेश	11372
3.	असम	43680
4.	बिहार	200274
5.	दिल्ली	0
6.	गोवा	1050
7.	गुजरात	40830
8.	हरियाणा	9630
9.	हिमाचल	7476
10.	जम्मू और कश्मीर	933
11.	कर्नाटक	309500
12.	केरल	26208
13.	मध्य प्रदेश	422695
14.	महाराष्ट्र	145015
15.	मणिपूर	3136
16.	मेघालय	5440
17.	मिजोरम	5100
18.	नागालैंड	3506
19.	उड़ीसा	99818
20.	पंजाब	7880
21.	राजस्थान	80285
22.	सिक्किम	12915
23.	तमिलनाडु	238570
24.	त्रिपूरा	3800

क्र.सं.	राज्य	प्रदान किया गया एक बत्ती कनैक्शन
25.	उत्तर प्रदेश	200112
26.	पश्चिम बंगाल	102014
27.	संघ राज्य क्षेत्र	1624
	कुल योग	2215068

Appraisal of the Implementation of various Tribal Development Plan

3163. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(c) whether Government have made any appraisal of implementation of the various Tribal Development Plans taken up during the plan periods in the fields of economics, cultural and social growth;

(d) if so, the achievements made so far;

(e) The shortcoming identified in the implementation of the programmes;

(f) the names; of the State Governments which have shown unsatisfactory progress in the implementation of the developmental programmes; and

(g) the changes in the strategy proposed to be made by Government for a balanced development of tribals in the country and to make it more meaningful in raising their standard of living?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOWALIA): (a) Yes Sir, Ministry of Welfare has constituted Sub-Groups for preparation of the Working Group reports on development and welfare of Scheduled Tribes during the different Plan periods. The Sub-Groups are charged with reponsibilities to critically examine the existing system of monitoring and evaluation of the implementation of welfare schemes for STs and suggest corrective measures.

(b) Statement I & II Enclosad *(See below)*.

(c) Progress reports regarding implementation of the programme/schemes are not submitted on time which affect the monitoring of the scheme. Also, guidelines issued from time to time by the Ministry have not been folowed by the States while implementing the welfare schemes.

(d) Two States Viz. Bihar and U.P. have shown unsatisfactory progress in the implementation of the developmental programmes.

(e) The Tribal Sub-Plan strategy is already in existence to ensure justice to Scheduled Tribes and ensuring their socio-economic development and protection from exploitation. Another strategy for fighting the poverty of tribles i.e. implementation of Point 11 (b) of 20 Point Programme for STs. A Cabinet Sub-Committee has been set up for effective implementation of Tribal Development programmes.

Statement-I

State/UT wise number of ST families economically assisted underpoint 11(b) of Twenty Point Programme during the Eighth Five Year Plan period (1992—97)

S.No.	State/UT	Target	Achievement
1.	Andhra Pradesh	635000	623928
2.	Assam	214400	143601
3.	Bihar	636000	521005
4.	Gujarat	431500	447279
5.	Himachal Pradesh	15175	19888
6.	Jammu & Kashmir	9190	5445
7.	Karnataka	48200	62597
8.	Kerala	29510	28985
9.	Madhya Pradesh	1235000	1275863
10.	Maharashtra	561131	528269
11.	Manipur	23800	19413
12.	Orissa	417200	436128
13.	Rajasthan	347080	329858
14.	Sikkim	22540	25168
15.	Tamil Nadu	49525	42993
16.	Tripura	57068	49456
17.	Uttar Pradesh	21625	22897
18.	West Bengal	217400	131425
19.	A & N Islands	3500	3491
20.	Daman & Diu	3574	2984
	Total	4978265	4711665